



2026:AHC:48806

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट - बी याचिका सं - 5194/2025

हरी लाल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

. प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मनोज कुमार यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और बोर्ड पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह रिट याचिका, अंतर्वस्तु के रूप में, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

i) न्यायालय परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जो प्रतिवादी सं.2 को यह निर्देश दे कि वह प्रतिवादियों (केदारनाथ बनाम राम हरख) द्वारा उत्तर प्रदेश चयन एवं भू-संरक्षण अधिनियम (यू.पी.सी.एच.) की धारा 9ए(2) के अंतर्गत दायर पुनर्स्थापन आवेदन का निर्णय, जो चकबंदी अधिकारी, कीर्तापुर, जौनपुर द्वारा मामला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सं.851/सी.ओ./2020-21 में प्रस्तुत किया गया है और उनके समक्ष लंबित है, निर्धारित अवधि के भीतर करें;"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उसने दिनांक 28.01.2021 के आदेश के विरुद्ध 29.07.2021 को पुनर्स्थापन आवेदन दायर किया है, जो इस तथ्य के बावजूद विचाराधीन है कि विपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और पुनर्स्थापन आवेदन अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
4. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।
5. उपरोक्त परिदृश्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है, बिना वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, चकबंदी अधिकारी (प्रतिवादी सं. 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारणार्थ लंबित है, को यह निर्देश देते हुए कि वे इसका निर्णय कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर करें, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

10 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”